न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 03/2022

बउनवान

खेमराज पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 24.02.2023

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता कान्हा उर्फ कन्हैयालाल के चार पुत्र चन्द्रप्रकाश, रामस्वरूप, भवानीशंकर व प्रार्थी हैं। इनमे से भवानीशंकर लाऔलाद फोत होने से उसके हिस्से की आराजी उसके तीनों भाईयों चन्द्रप्रकाश, रामस्वरूप व खेमराज के नाम दर्ज कर दी गई। नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 31.07.2015 से प्रार्थी व उसके भाई चन्द्रप्रकाश और रामस्वरूप के मध्य हुए सहमति बंटवारे अनुसार प्रार्थी के ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 1304/1731 रकबा 0.13 है., 1306/1733 रकबा 0.05 है., 1308/1734 रकबा 0.91 है. कुल किता 3 रकबा 1.09 है. आराजी दर्ज की गई। जमाबंदी संवत 2037–40 ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल में खाता संख्या 16 में खसरा नंबर 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रार्थी के पिता कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र माधोलाल मीणा के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट संवत 2044–63 होने के बाद साबिक खसरा नंबर 577 के नवीन खसरा नंबर 606 रकबा 1. 27 है. कायम करके प्रार्थी के पिता कान्हा पुत्र माधोलाल मीणा के खाते दर्ज कर दी गई। हाल सेटलमेन्ट संवत 2044–63 होने के बाद सेटलमेन्ट कार्मिकों ने प्रार्थी के पिता कान्हा पुत्र माधो का रकबा गत रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा की तुलना में 0.45 है. (2 बीघा 17 बिस्वा) कम करके खसरा नंबर 606 रकबा 1.27 है. राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। प्रार्थी के बड़े भाई स्व0 भवानीशंकर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. इस न्यायालय में पेश किया। जो मि. नं. 527/99 दर्ज कर निर्णय दिनांक 05.05.1999 से आदेश पारित किया गया कि "मौके पर नाप के आधार पर 1.27 है. के स्थान पर 1.46 है. होता है, शेष भूमि खसरा नंबर 605/0.48 है. में से 0.14 है., 611/1112 रकबा 0.72 है. में से 0.05 है. कुल 0.19 है. कमी की जाकर प्रार्थी को दी जावे।" उक्त निर्णय होने के समय ग्राम मालबमोरी में केचमेन्ट का कार्य चल रहा था। निर्णय की नकल लेने के पश्चात से ही प्रार्थी निरन्तर निर्णय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र पेश करता रहा लेकिन उक्त निर्णय की पालना आज दिनांक तक नहीं की गई और प्रार्थी का रकबा पूरा नहीं किया गया। केचमेन्ट ब्लॉक मालबमोरी से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नंबर 606 रकबा 1.27 है. के बाद केचमेन्ट नंबर 1308/2 रकबा 0.91 है. दर्ज किया गया जो कि गत खसरा नंबर 978 रकबा 0.28 है., 606 रकबा 0.79 है. व खसरा नंबर 611 रकबा 0.12 है. से बनना बताया है जबकि खसर[illegible] रामपुरा भगतान की आराजी है और प्रार्थी के खाता संख्या 18 ग्राम रामपुरा भगतान [illegible] के खाते में दर्ज हो रही है। इस प्रकार केचमेन्ट अधिकारियों ने खसरा न[illegible] भगतान व ग्राम मालबमोरी में दोनो जगह दर्ज कर दिया। अतः [illegible] नंबर 978 रकबा [illegible] है. हटाया जाकर उसके स्थान पर दूसरा नंबर दर्ज किया जाने हेतु इस न्यायालय के निर्णय [illegible] 05.05.1999 की पालना कराने हेतु तहसीलदार मांगरोल के यहां प्रार्थ[illegible] पत्र प्रस्तुत किया जिस [illegible]का पटवारी माल बमोरी ने दिनांक 07.04.2022 को रिपोर्ट पेश की कि "प्रार्थी के रकबे की पूर्ति नही हो सकती, क्योंकि केचमेन्ट होने के बाद पनूर्व खसरा नंबर 605 व खसरा नंबर 611/1112 माल बमोरी व दौराने केचमेन्ट नये खसरा नंबर बनाकर अन्य खातेदारान के दर्ज कर दिये गये"। इस प्रकार प्रार्थी का रकबा पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि मौके पर सिवायचक आराजी 0.19 है. है, उस आराजी को प्रार्थी के खाते दर्ज

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:56 IST
Reason: SelfAttested

किया जा सकता है। अतः प्रार्थी के पिता के कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा नंबर 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा ग्राम मालबमोरी के सेटलमेन्ट के बाद दर्ज खसरा नंबर 606 रकबा 1.27 है. व बाद केचमेन्ट 1999–2000 प्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1308/1734 रकबा 0.91 है. में कमी रकबा 0.45 है. पूरा किया जावे तथा न्यायालय जिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 05.05.1999 की पालना कराई जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को एवं न्यायालय जिला कलक्टर, बारां की पत्रावली सं. 527/99 निर्णय दिनांक 05.05.1999 तलब की गई।

अप्रार्थी जर्ये पेरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा जिला रेकार्ड रूम से वांछित पत्रावली प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 527/99 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.1999 की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक नही कर प्रार्थी के खाते के कमी रकबे की पूर्ति नहीं की गई जबकि मौके पर 0.19 है. सिवायचक भूमि उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मांगरोल को उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ली गई पटवारी मालबमोरी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि "उक्त निर्णय की पालना से पूर्व ग्राम मालबमोरी में केचमेन्ट कार्य हो गया है तथा जिन खसरा नंबरान से प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति की जानी थी उनसे कायम किया गया नया खसरा नंबर 1307 अन्य खातेदारान के खाते दर्ज है। अतः निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है।" अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2037–40 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कान्हा पुत्र माधो की खातेदारी में दर्ज था। मुताबिक भू प्रबंध जमाबन्दी संवत 2044–63 तथा मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 उक्त खसरा नंबर 577 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 606 रकबा 1.27 है. कायम किये गये। खसरा नंबर 577 के नवीन खसरा नंबर 606 कायम किये जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के आदेश दिनांक 05.05.1999 के द्वारा खसरा नंबर 605/0.48 में से 0.14 है. व 611/1112 रकबा 0.72 है. में से 0.05 है. कुल 0.19 है. कमी की जाकर प्रार्थी को दिए जाने का आदेश पारित किया गया। परन्तु पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 के अनुसार उक्त निर्णय के पूर्व ग्राम मालबमोरी में केचमेन्ट कार्य होने के कारण गत खसरा नंबर 605/0.48 है. व 611/1112 से खसरा नंबर 1037 बनाया गया। जिसे खातेदारान पुरूषोत्तम, नारायण पुत्र गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण हि. 2/3 नाथूलाल पुत्र कन्हीराम जाति तेली हि. 1/3 दर्ज किया गया। अतः जिस खसरा नंबर से रकबे की कमी पूर्ति की गई है वह अन्य खातेदारान के दर्ज हो चुके हैं।

प्रार्थी का कथन है कि बाद केचमेन्ट प्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1308/1734 रकबा 0.91 है. कायम किया अतः 0.45 है. कमी रकबा पूरा किया जावे। चूंकि कमी पूर्ति किये गये खसरा नंबरान अन्य व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज है। अतः इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं है। प्रार्थी निर्णय दिनांक 05.05.1999 की अपील सक्षम न्यायालय में प्रभावित पक्षकार को पा [illegible] वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार [illegible] हीन होना पाया जाता है।
अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.20[illegible] को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:56 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)